

MSTP/DY, No-90

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes


NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2015

S.O. ___(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "National Council of Science Museums" an autonomous body under the Ministry of Culture, Government of India, in respect of the following specified income arising to the Council, namely:-

- (a) amount received in the form of grants-in-aid and subsidies from Government of India;
 - (b) fees or subscription by sale of tickets;
 - (c) charges for maintenance recovered for use of auditorium and other public facilities for scientific and educational purposes; and
 - (d) income arising or derived by way of interest received from investment.
2. The notification shall be subject to the following conditions, that National Council of Science Museums-
- (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the said Act.
3. This notification shall be applicable for the financial years 2012-2013 to 2016-2017.

(Notification No. 8 /2015 F.No. 196/1/2013-ITA.I)



(Deepshikha Sharma)
Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri,
New Delhi.

Ms. L
20/1/15

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी, 2015

अधिसूचना

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए " राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स), जोकि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्तशासी निकाय है, को उस परिषद को उद्भूत होने वाली विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, यथा:-

- (क) भारत सरकार से सहायता अनुदान और सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि;
- (ख) टिकटों की बिक्री से आने वाला शुल्क या अंशदान;
- (ग) वैज्ञानिक और शिक्षा परक उद्देश्यों के लिए प्रेक्षागृह और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के प्रयोग के लिए वसूले जाने वाले रख-रखाव प्रभार; और
- (घ) निवेश से प्राप्त ब्याज के रूप में अर्जित या व्युत्पन्न आय;

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी रहेगी, कि:- "नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स"

- (क) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;
- (ग) यह उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (च) के उपबंध के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक लागू रहेगी।

[अधिसूचना संख्या/2015 फा.सं. 196/1/2013-आ.का नि-1]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।